SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

लोककथा का लोक–जीवन में प्रभाव

रीता यादव, Ph.D., हिंदी विभाग
शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
रीता यादव, Ph.D.
E-mail : ritayadav74@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/11/2024
Revised on : 15/01/2025
Accepted on : 24/01/2025
Overall Similarity : 01% on 16/01/2025

शोध सार

लोक कथाएँ हमारी संस्कृति की संवाहक होती है, इनके अभिप्रायों में संस्कृति के विभिन्न आयाम समाहित होते हैं। लोक कथा की मूल चिंता मनुष्य की संस्कृति की उस कृति को बनाता है जिससे मनुष्य बनता है। लोक कथाएँ अपने अंदर तत्कालीन संस्कृति के सभी तत्वों को आत्मसात करती चलती हैं इसलिए यह कहना सर्वथा उचित होगा कि लोक कथाएँ अपने निर्माण समय की संस्कृति और विचारों का परिचय देती हैं। लोककथाओं में सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। इसमें सम्पूर्ण लोक–जीवन मुखरित होता है। लोककथा में लोक–जीवन एवं लोकचेतना की सांगोपांग अभिव्यक्ति होती है। इनमें लोक–समाज के विश्वास अर्न्तनिहित होते हैं। लोककथाओं के माध्यम से ही पता चलता है कि मनुष्य प्रारंभ से कल्पनाशील रहा है।

मुख्य शब्द

संस्कृति, जीवन, मनुष्य, मनोरंजन, अभिव्यक्ति, सौन्दर्य.

सृष्टि में मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसे वाणी और विवेक का वरदान मिला हैं। प्रारंभ से मनुष्य अपने आस–पास के यथार्थ के सहारे कुछ कल्पना और स्वप्न लोक में विचरण करने का आदी रहा हैं। उसने अपने विवेक के जरिये संकेत बोली और भाषा का अविष्कार किया तो मनुष्य अनेक कथाएँ गूँथने लगा जिसमें जीवन की तलाश की अभिव्यक्ति थी, बस यही प्रारम्भिक उच्छ्वास लोक कथा के रूप में विकसित हुए। मानव विज्ञानी डॉ. श्यामाचरण दुबे ने मानव और संस्कृति पुस्तक में ठीक ही लिखा हैः ''संस्कृति के आद्य धरातल पर जीवन निर्वाह करने वाले मानव समूह में कम से कम दो प्रकार की कहानियों का प्रचलन पाया जाता है। प्रथम वर्ग में तात्कालिक घटनाओं तथा अनुभवों का वार्तालाप

शैली में विकट यथार्थ का वर्णन होता है। इनमें न साहित्य सौंदर्य होता है और न स्थायित्व। दूसरी श्रेणी में वे कथाएँ आती हैं जो अपनी कथावस्तु तथा कथन की कलात्मकता शैली के कारण एक विशिष्ट साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त कर लेती हैं। लोक वार्ताविद इस श्रेणी की कहानियों को ही 'कथा' कहते है। कथाएँ गद्यात्मक होती है और पद्यबद्ध भी।''[1]

'कथा' शब्द का इतिहास अधिकांशतः भाषा की दृष्टि से 'कथ' अर्थात् 'कहने' की धातु से सम्बद्ध है। कथाकार ने किसी वस्तु एवं भाव को अपनी कथा का विषय बनाया और फिर उसने अपने ढंग से उसको कहा। लोक–कथा में कथानक एवं भावतत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लोक–कथा का परम्परागत रूप भी उसके कथानक में ही अधिक सुरक्षित है। यदि ये कहा जाये कि लोक कथा की जितनी भी विशेषताएँ है वे अधिकांशतः कथानक में ही व्यक्त हुई हैं तो अत्युक्ति न होगी। लोक कथा की मनोवैज्ञानिकता, नैतिकता और धार्मिकता आदि इसी कथानक द्वारा ही अभिव्यक्त की जाती रही हैं। स्टिथ थामसन कहते हैं कि – ''ऐतिहासिक भौगोलिक सम्प्रदाय का अध्ययन कथाओं की सामग्री की ओर विशेषतः झुका हुआ रहता है, इन खोजों के परिणाम यह बतलाते हैं कि यद्यपि शैली बदलती रहती है कथा का कथानक स्थिर सा रहता है। यहाँ कथानक के उस तत्व का परिचय प्राप्त होता है जो स्थिर रहता है और जिसे अभिप्राय का नाम दिया गया है। श्यामाचरण दुबे ने उसे 'मूलभाव' माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे कथानक 'रूढि' शब्द से अभिहित करते है। कृष्णानंद गुप्त उसको कथानक का मूल लक्षण एवं मुख्य लक्षण कहकर परिचय देते हैं।

मनुष्य–जन्म के साथ ही लोक–कथा का उदय हुआ है। लोगों में कहानी कहने की पुरानी परम्परा है। अपनी अनुभूतियों को मनुष्य ने कथा के रूप में ही अभिव्यक्ति दी है। लोक कथा में जीवन के सुख–दुःख, रीति–रिवाज, आस्थाएँ, विश्वास परम्पराओं की अभिव्यक्ति होती है। आदिकाल से ही लोक कथा का गठबंधन मनुष्य की चेतना से चला आ रहा है। मनुष्य के प्रेम, श्रृंगार, वीरभाव और बैरभाव आदि ने खाद बनाकर लोक कथाओं को पुष्ट किया है। लोक कथा मौखिक रूप में अधिक प्राप्त है इसी कारण यह वैशिष्ट्य रहा कि इसका स्थूल रूप परिवर्तन शील हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है – ''लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथाओं के लिए व्यवहृत होता रहा है जो मौखिक अथवा लिखित परम्परा से क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होते रहे है।''[2]

सामाजिक संबंधों के कारण लोक कथाएँ एक जगह से दूसरी जगह लोक यात्राएँ करती हैं, कुछ लोक कथाएँ तो संसारव्यापी हैं लेकिन कुछ लोक कथाएँ अपने अंचल की सीमाओं में देखी सुनी जाती हैं। वाचिक परम्परा की बहुमूल्य धरोहर हमारी लोक कथाएँ एक होंठ से दूसरे होंठ, एक कंठ से दूसरे कंठ एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। जब एक बेटी सुदूर कहीं ब्याही जाती है तो वह दादी, नानी से सुनी कहानियों का अक्षय भंडार उस नयी जगह में ले जाती हैं। वहाँ वह उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को देगी। इस प्रकार एक परिवेश से दूसरे परिवेश में लोक कथाएँ पहुँचती है और अपनी परम्परा को अक्षुण्ण रखती हैं। लोक कथाओं के संबंध में शिव शंकर लाल शेखर का कथन है – ''कुबेर के खजाने की भाँति लोक कथाओं का भण्डार की अकृत है। इन कथाओं के सहारे विभिन्न देशों के लोगों के रीति–रिवाज और उनकी विचार धाराओं का पता चलता है।''[3]

लोक कथाओं द्वारा मानव का सम्पूर्ण जीवन आच्छादित है इसीलिए हमें जीवन के सभी क्षेत्रों की भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें उपलब्ध होती हैं। लोक कथा को मनोरंजनात्मक तत्व, कल्पनात्मक तत्व मनोविज्ञान की देन है। उसमें पायी जाने वाली परम्परा की धारा की झलक के रूप में संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में लोक कथा की महत्ता है। नीति शास्त्र एवं धार्मिक क्षेत्र में उसका महत्व नेतृत्व विज्ञान एवं नृविज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुका है। इसी के फलस्वरूप कथाओं में देवी–देवताओं, राक्षसों, दानवों आदि का विशेष स्थान है जो मानव के आदिम विश्वास, मनोविज्ञान कल्पना और परम्परा के वरदान स्वरूप विद्यमान हैं।

'लोक कथा' के संबंध में आनंद प्रकाश जैन का कथन हैः ''लोक कथाएँ जहाँ अवकाश के क्षणों में हमारा मनोरंजन करती है वहाँ उस प्रदेश की सभ्यता और रीति–रिवाजों का परिचय भी देती है जहाँ वो होता है। तेलगांना की लोक कथाओं में हमें अनेक ऐसी कथाएँ मिलती है जो धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं की प्रतिकृति मालूम होती हैं।''[4]

लोक–कथाओं का मूल उद्देश्य मनोरंजन रहा है लेकिन लोक–कथाएँ कोरे मनोरंजन के लिये नहीं गढ़ी गई है, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीढ़ियों के संचित ज्ञान की गंगाएँ है। लोक–कथाओं में किसी चरित्र, किसी घटना

या किसी कथानक के माध्यम से ऐतिहासिक संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। आदिकाल से मनुष्य ने अपने जीवन और अनुभव की अभिव्यक्ति कथाओं के माध्यम से की है इसलिए लोक कथाएँ मानव इतिहास नहीं हैं बल्कि ये इतिहास से कहीं आगे लोक संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्ति हैं।

लोक कथाओं में प्रकृति जड़ चेतन और मनुष्य का सम्बन्ध गहरा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक–कथाओं में मिथक और मिथक कथाओं का प्रयोग तो हो सकता है लेकिन मिथक कथाओं में लोक कथाओं के तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता। लोक कथाओं के पेड़–पौधे चल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पशु–पक्षी मनुष्य का रूप धारण कर सकते है, परियाँ स्वर्ग लोक से उतर सकती हैं, चिड़ियाँ मरकर भी राजा से बदला ले सकती हैं इत्यादि।

भारतीय लोक–कथाओं के संकलन और परिष्कार का कार्य बहुत पहले से शुरू हो गया था। कथा सरित सागर, हितोपदेश और पंचतंत्र की लिखित साहित्यिक कथाएँ संकलित करने से पूर्व लोक जीवन की मौखिक परम्परा में प्रचलित थीं। लोक–कथाएँ वाचिक गद्य और पद्य परम्परा की समृद्ध सृष्टि हैं जो मनुष्य के विकास के प्रारंभ काल से आज तक चली आ रही हैं। लोक कथाओं में मानवीय जिज्ञासा के वे सभी हल मौजूद हैं जो जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक कथाओं के संबंध में रमेश चन्द्र प्रेम का कथन हैं– ''लोक कथाओं की दृष्टि से भारत एक समृद्धशाली देश है और विश्व भर में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जर्मन विद्वान बेनिथी ने माना है, विश्व की लोक कथाओं की उद्‌गम भूमि भारत है। एक अन्य विद्वान ने भारतीय लोक कथाओं का अध्ययन करने पर यह स्वीकार किया है कि कहानी कहने और लिखने की कला में भारतीय मनुष्य की जातिगत गुण रहे है। भारत की अनेक लोक कथाओं में जीवन के शाश्वत सत्यों का सरल निरूपण मिलता है, इनसे कर्तव्य और सेवा की शिक्षा प्राप्त होती है और निराश हृदय में आशा के दीपक जल उठते हैं।''[5]

लोक कथाएँ हमारी वाचिक परम्परा की अमूल्य धरोहर है। नानी–दादी की वाणी से सुनी कथाओं का आस्वाद ही भिन्न होता है। लिखित शब्दों में वह वाक् सौंदर्य और प्रभाव कहाँ जो प्रसंगानुकूल उतार–चढ़ाव के अनुरूप बोले गये शब्दों में मिलता हैं। लिखे गये शब्दों में ध्वनि तत्व गायब हो जाता है। हमारी जातीय संस्कृति का दोहा सा छोटा उच्छ्वास लोक कथाओं में इतने सुंदर ढंग से उकेरा जाता है कि हमारे पूर्वजों के सामूहिक मानव की विलक्षण प्रतिभा और क्षमता को देखकर 'दाँतों तले उंगली दबानी' पड़ती है। यथार्थ और कल्पना का अद्‌भुत संगम और किसी विधा में देखने को नहीं मिलता जितना कि लोक कथाओं में मिलता हैं।

लोक–कथा में वैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात तुलनात्मक अध्ययन से हुआ। जब बहुत सी कथाओं का संग्रह हो गया तो उन कथाओं की परस्पर तुलना की गयी। ग्रीस बंधुओं और उनके बाद में आने वाले विद्वानों के लोक–कथा अध्ययन की नींव भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन पर रखी गयी थीं, क्योंकि तब तक लोक–कथा का अपना निज का क्षेत्र अत्यंत सीमित था। उधर नये–नये समाजों के प्रकाश में आने पर विद्वानों की दृष्टि नेतृत्व विज्ञान और नृविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध लोक कथाओं पर गयी। 'लोक कथा' के संबंध में डॉ. सत्या गुप्ता का कथन हैः ''लोक कथाओं में में मानव मन की सब प्रकार की भावनाएँ, परम्पराएँ तथा जीवन दर्शन समाहित है। भूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र, कोमल व पुरूष भावनाएँ, सामाजिक ऐतिहासिक परम्पराएँ, जीवन दर्शन के सूत्र सभी कुछ लोक–कथा में मिल जाते हैं।''

लोगों में प्रचलित और परम्परा से चली आने वाली मूलतः मौखित रूप में प्रचलित कहानियों लोक कथा के अंतर्गत आती है। इनका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन ही रहा है लेकिन इनके उद्देश्य के साथ नीति, शिक्षा, धर्म, उपदेश आदि के उद्देश्य भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। संस्कृत साहित्य के वृहत कथा, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश, बैताल पंचविशतिका, शुक सप्तति, सिंहासन त्रिद्धामिशिका आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जो लोक कथा की परम्परा में रखे जाते हैं। लोक कथा के उद्‌गम के सम्बन्ध प्रसारवाद का सिद्धांत, प्रकृतिरूपवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इच्छापूर्तिवाद का सिद्धांत, व्याख्यावाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, यर्थाथवाद का सिद्धांत, समन्वयवाद का सिद्धांत है।

लोक कथाओं से सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द है जिनका प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है जैसे लीजेण्ड और मिथ। हिन्दी में अभी इनके लिए उपयुक्त शब्द उपलब्ध नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक

शब्दावली इस प्रकार है जिनमें जानवरों से संबंध रखने वाली उस कथा को 'फेबुल' कहते है जिसमें कोई उपदेश दिया होता है। इन कथाओं में पशु–पक्षी पात्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते है। जानवरों की विशेषता रखते हुए भी ये पात्र मनुष्य के समान बात–चीत तथा अभिनय करते हुए पाये जाते है। इस प्रकार की लोक कथाओं का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना या उपदेश की प्रवृत्ति होती हैं। भारत वर्ष में प्राचीनतम 'फेबुल' पाये जाते है। कथा सरित सागर, पंचतंत्र तथा हितोपदेश, पशु–पक्षी सम्बन्धी कथाओं का अनंत भण्डार है। 'शुक सप्तति' नामक ग्रंथ केवल शुक्र से संबंधित 70 कहानियों का संग्रह हैं। पश्चिमी देशों में इसारस 'फेबुल्स' के नाम से अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं।

फेबलियों यह पद्यमयी गाथा है जिसमें हास्य तथा व्यंग्य की प्रधानता होती है। इसकी रचना सरल शैली में की जाती है। फ्रांस देश में 12वीं 14वीं शताब्दी तक इस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता थी। फ्रांस से इनका प्रचार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। फेबलियों में व्यंग्य उक्ति पायी जाती है। वह प्रधानतया किसी स्त्री पादड़ी तथा विवाह की ओर लक्ष्य करती है। फेबलियों की रचना प्रधानतया जन–धन के अनुरंजन के लिए की जाती है। इसका प्रधान वर्ण्य विषय चालाक पति, अविश्वास पात्र पत्नी तथा धोखा देने वाला प्रेमी होता है।

फेयरी यह शब्द उन अमानवीय जीवों को बोधित करता है जो प्रायः अदृश्य होते हैं। ये कहीं तो उपकार करने वाले तथा सहायक रूप में दिखाई पड़ते है और कहीं दृष्ट खतरनाक बदमाश तथा चिड़चिड़े स्वभाव वाले चित्रित किये गये है। उनका निवास स्थान यही धरती है जहाँ ये मनुष्यों के संपर्क में आते रहते हैं। 'फेयरी' शब्द लैटिन के 'फेटुम' से बना हुआ है जिसका अर्थ है– जादू या इंद्रजाल होता है। फेयरी टेल जिन लोक–कथाओं में परियों, अप्सराओं तथा अमानवीय व्यक्तियों की कथा कहीं गई रहती है। उन्हें 'फेयरी टेल' कहते है। जर्मन भाषा में इन्हें 'मार्चेन' तथा स्वीडिश भाषा में 'सागा' कहते है। हिन्दी में इन्हें 'परियों की कथा' से अभिहित किया जा सकता है। इन कहानियों को छः श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः

1. परियों द्वारा मनुष्यों की सहायता,
2. परियों द्वारा मनुष्यों को क्षति पहुँचाना,
3. परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण,
4. परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र को देना,
5. मनुष्यों द्वारा परिस्तान की यात्रा,
6. प्रेमी या प्रेमिका के रूप में परी।

लीजेण्ड इस शब्द का मूल अर्थ उस वस्तु से था जो धार्मिक पूजा पाठ के अवसर में पढ़ी जाती थी। यह मुख्यतया किसी साधु पुरूष का जीवन–चरित्र अथवा धर्म के नाम पर बलिदान होने वाले वीरों की गाथा होती थी। लीजेण्ड सत्य घटना के रूप में कही जाती है परंतु 'मिथ' की सच्चाई उसके श्रोताओं में विश्वास के ऊपर आश्रित होती है। राजा विक्रमादित्य की कथा 'लीजेण्ड' की श्रेणी में आती है।

मिथ वह कथा है जिसको किसी प्राचीन काल में घटित दिखलाया गया हो। इन कथाओं में किसी देश के धार्मिक विश्वास, प्राचीन वीर, देवी–देवता तथा स्थानीय जनता के अलौकिक परम्पराओं का वर्णन होता है। 'मोटिफ' शब्द का अर्थ प्रधान अभिप्राय या भाव होता है जिसका प्रधान सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। स्टिथ टामसन के अनुसार – ''मोटिफ वह अंश है जिसमें फोकलोट के किसी भाग का विश्लेषण किया जा सके। लोक कला के डिजाइन के मोटिफ होते है। लोक संगीत में मोटिफ पाये जाते है परंतु लोक कथा के क्षेत्र में ही इनका सांगेपांग अध्ययन किया गया है।''

लोक साहित्य विद्वान टाइप का प्रयोग उन कथाओं के लिए करते है जो मौखिक परम्परा में अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखने में समर्थ हो। कोई कथा जो स्वतंत्र कहानी के रूप में कहीं जाती है 'टाइप' समझी जा सकती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपनी कुछ विशेषताओं के कारण कोई कथा का वर्ग दूसरी कथाओं से पृथक होता है इस वर्ग को 'टाइप' कहते हैं। लोककथाओं में प्रेम का अभिन्न पुट, अश्लील श्रृंगार का अभाव, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर साहचर्य, मंगल कामना एवं उत्सुकता की भावना, सुख और संयोग में कथाओं का अंत,

रहस्य, रोमांच और अलौकिकता की प्रधानता, वर्णन की स्वाभाविकता आदि विशेषताएँ परिलक्षित होती है।

लोककथा वह कथा है जो लोक द्वारा लोक के लिए लोक से कही जाती है। लोककथाएँ मानव की मूल प्रवृत्ति की ही कथा कहती है, और वह भी नितांत उन्मुक्त और स्वच्छन्द रूप से। लोककथा लोक–जीवन के सम्पूर्ण रूप को ही अपने भीतर समेट लेता है। लोक में कहानियाँ कहने और सुनने का शौक आदिम युग से ही रहा है। हमारी लोककथाएँ इसी शौक का मूर्त रूप हैं। इनका मूल उद्देश्य समाज का मनोरंजन करना होता है। इस मनोरंजन के रूप में मानव–मन की आकांक्षाएँ अभिव्यक्ति पाती है। लोककथा मार्गदर्शित भी करती है साथ ही मानव–मन में जिज्ञासा, कल्पना, प्रेम, संवेदना, देशप्रेम आदि की भावना उत्पन्न करती है। लोककथाएँ संस्कृति की संवाहक होती है। इसका प्रवाह कालजयी होता है यानी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रवाहित होती रहती है। लोककथाओं में जनरूचि के सभी बिन्दुओं का समावेश रहता है। लोककथा का मूल उद्देश्य लोकमंगल हेतु रास्ता दिखाना और ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना होता है, जिससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व मिल सकें।

लोककथाएँ हमें आत्म सम्मान, साहस और पारस्परिक सद्भावना के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लोककथा के माध्यम से अनुभवों का आदान–प्रदान मानवता की शिक्षा, सद्कर्म का महत्व तथा अनुचित कर्म से दूर रहने का संदेश दिया जाता रहा है।

मानव समाज में प्रचलित लोककथाओं की परम्परा हमें आदिम युग के तहखानों तक ले जाती है। मिथक, इतिहास और समकलीन विभिन्न मुद्दों को अपने कलेवर में समेटती इन लोककथाओं में जीवन के अनेक रसों की अनुभूति की जा सकती है। लोककथा परम्परा केवल मनोरंजन की विधा नहीं है, इससे कथा संदर्भित कालखण्ड के जीवन धाराओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। तत्कालीन जीवन धाराओं की संरचना, क्रियाकलापों, नैतिक मूल्यों, मनोविज्ञान, व्यवहार संबंधों, स्मृतियों, स्वप्नों, सामाजिक ताने–बाने के दर्शन होते हैं। लोक जीवन में कथा, कहानी या गाथाओं का मनोरंजन और लोक जीवन के यथार्थ की दृष्टि से बहुत महत्व रहा है, जिससे दुनिया का कोई भी अंचल अपरिचित नहीं होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः जन–मन के अनुरंजन एवं लोक–जीवन में लोक–कथाओं का प्रमुख स्थान रहा है। यही कारण है कि ये कथाएँ चिरकाल से हमारे जीवन का अंग बन गई हैं। वस्तुतः प्राचीन कहानियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है और यह दिखलाया है कि वैदिक काल से लेकर आज तक इसकी धारा अक्षुण्ण रीति से प्रवाहित होती आ रही है। लोक भी प्रचलित विविध लोककथा सृजन हमारे सामने आता है। उसे बारीकी से देखने से लोक जीवन के यथार्थ से किसी न किसी हद तक परिचित होने लगते हैं। निश्चित रूप से इन कथाओं के माध्यम से लोक जीवन को समझने में सहायता मिलती है।

संदर्भ सूची

1. दुबे, श्यामा चरण (1982) *मानव और संस्कृतिः मानव विज्ञान की परिचयात्मक,* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 109।
2. द्विवेदी, हजारी प्रसाद (2004) *लोक साहित्य शास्त्र,* विकास प्रकाशन 311सी. विश्व बैंक बर्रा, कानपुर, पृ. 98।
3. शेखर, शिव शंकर लाल (1963) *कोरिया की लोक कथाएँ,* आत्माराम एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली, पृ. 4।
4. जैन, आनंद प्रकाश (1961) *तेलगांना की लोक कथाएँ,* आत्माराम एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली, पृ. 96।

****